सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

 # OPERATION CRACKDOWN

प्रेस नोट-दिनांक 09.06.2024

इटावा पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले 03 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अवैध छुरा किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.06.24 को वादी दीपक उर्फ दीपा पुत्र कैलाश बाबू नागर निवासी ग्राम हटीला, ऊसराहार, इटावा द्वारा थाना ऊसराहार पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 07.06.2024 की सुबह 08.00 बजे जब वह अपने घर से ग्राम चित्तरपुरा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गडरिया मडैया के पास के पास मिट्टी के तालाब के किनारे विनोद उर्फ पप्पू नट व उसका पुत्र ऋषि नट व राजकुमार पुत्र हरपाल गाय की बछिया को मारकर अवशेष को बोरे मे भरकर ले गये एवं ग्राम पायकला के पासी खाली पडी जमीन मे गड्डा खोद कर गाड़ दिया। सूचना के आधार पर थाना ऊसराहार पर **मु0अ0सं0 69/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं गौकशी/गौतस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 08.06.2024 को थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अटिया तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि गौवध मुकदमे मे वांछित 03 व्यक्ति मोटरसाइकिल से इसी ओर आ रहे है, तथा उनके पास अवैध असलहा भी है। तभी कुछ समय बाद अण्डर पास की तरफ से 01 मोटरसाइकिल आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया तो स्वयं को पुलिस टीम से घिरता देख उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 03 फायर किये गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो **01 गोली अभियुक्त ऋषि नट पुत्र विनोद उर्फ पप्पू नट के बांये पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 अभियुक्तों को अवैध छुरा सहित अटिया तिराहे से समय 23.00 बजे रात्रि को गिरफ्तार किया गया।**

एवं बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 07.06.24 को समय करीब 08.00 बजे हम लोगो ग्राम गड़रियान मडैया के पास तालाब के किनारे गाय की बछिया को मार डाला तथा उसके अवशेष को ग्राम पायकला के पास खाली पडी जगह मे गड्डा खोदकर गाड़ दिया था। बरामद असलहा के संबंध मे पूछने पर बताया कि अपराध कारित करने के उद्देश्य से तमंचा व छुरा साथ रखते है।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी तथा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 70/24 धारा 307 भादवि (पु0मु0) व धारा 3/25/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ऋषि नट पुत्र विनोद नट ग्राम हटीला थाना उसराहार जनपद इटावा **उम्र19 वर्ष**।
2. विनोद नट पुत्र पूरन सिह ग्राम हटीला थाना उसराहार जनपद इटावा **उम्र 50 वर्ष।**
3. राजकुमार नट पुत्र हरिपाल नट ग्राम नगला गुदे थाना कुदरकोट जनपद औरैया **उम्र 25 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 69/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 70/24 धारा 307 भादवि (पु0मु0) व धारा 3/25/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास-

ऋषि नट पुत्र विनोद उर्फ पप्पू नट

1. मु0अ0सं0 123/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 191/23 धारा 379/411 भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 192/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 69/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 70/24 धारा 307 भादवि (पु0मु0) व धारा 3/25/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।

विनोद उर्फ पप्पू नट पुत्र पूरन सिंह

1. मु0अ0सं0 69/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 70/24 धारा 307 भादवि (पु0मु0) व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा

राजकुमार पुत्र हरपाल सिंह

1. मु0अ0सं0 69/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 70/24 धारा 307 भादवि (पु0मु0) व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 03 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 02 अवैध छुरा
5. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस **UP 79 AC 0071 (धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज) (घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम – उ0नि0 श्री बेचन सिंह थानाध्यक्ष ऊसराहार, उ0नि0 मंगल सिंह, उ0नि0 संजय सिंह, हे0का0 रंजीत सिंह, हे0का0 बबलू सिंह हे0का0 चालक संजय सिंह, का0 ज्ञानेन्द्र सिंह, का0 हेमराज सिंह, का0 चालक अंकुश।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया है।